

जनजातीय खेतीहर महिला श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन (मध्यप्रदेश के धार जिले के विशेष संदर्भ में)

लोकेन्द्रसिंह रावत
शोधार्थी
अर्थशास्त्र विभाग

डॉ. सुधा पाण्डेय
शोध निर्देशिका
सह आचार्य (अर्थशास्त्र विभाग)

माधव विश्वविद्यालय, पिण्डवाड़ा,

1. प्रस्तावना

खेतीहर महिला श्रमिक आज भी सबसे अधिक गरीब, पिछड़ा और शोषित वर्ग है। उनके असंगठित एवं अकुशल होने की वजह से अभी भी इनकी आय का स्तर बहुत कम है। अभी भी उनका उपभोग स्तर बहुत कम है। 2001 से 2011 के बीच खेतीहर श्रमिक महिलाओं की संख्या में चार गुण बढ़ोतरी हुई है व कृषि में श्रमशक्ति में खेतीहर मजदूरों का अनुपात 2001 में 28 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 56 प्रतिशत हो गया है अर्थात् और अधिक मजदूर परिवारों की मौद्रिक आय में वृद्धि हुई है परन्तु कीमतों में भी तेजी से वृद्धि हुई इसलिए वास्तविक मजदूरी को अपनी सामाजिक व पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाहन करना पड़ता है और उसके लिए उन्हें साहूकारों व महाजनों से ऋण लेना पड़ता है और उसके लिए उन्हें साहूकारों व महाजनों से ऋण लेना पड़ता है। महाजन ऊंची ब्याज दर भी लेते हैं व इनका कई प्रकार से शोषण करते हैं। सभी व बालश्रमिकों को भी सामान्य से कम मजदूरी दी जाती है व उनसे काम भी अधिक लिया जाता है। इसके अलावा, श्रम-शक्ति में लगे हुए बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं जिससे उनसे प्राप्त होने वाली भविष्य में संभावित आय भी कम हो जाती है। इनकी निम्न सामाजिक स्थिति होने के कारण बड़े-बड़े भू-स्वामी इनसे दासों की तरह काम लेते हैं व नाममात्र की पगार पर इनसे बेगार ली जाती है। भूमिहीन किसान महिला प्रायः कच्चे मकान व झोपड़ियों में रहने के लिए विवश होते हैं एक या दो कमरों में अनेक व्यक्तियों के रहने से इनकी नैतिक एवं सामाजिक मर्यादा समाप्त हो जाती है। दूर-दूर तक गांव व क्षेत्रों में बिखरे होने के कारण तथा पारस्परिक संगठन की कमी की वजह से ये भू-स्वामियों से अपनी मजदूरी के संबंध में सौदा करने में असमर्थ होते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में मशीनों का प्रयोग बढ़ने की वजह से भी अशिक्षित कृषि श्रमिकों में भारी मात्रा में बेरोजगारी बढ़ रही है जो एक गंभीर समस्या का रूप धारण कर रही है।

भारतीय जीवन दर्शन में नारी को शक्ति का पर्याय माना गया है। इसलिए इसे नारी शक्ति कहा जाता है। महिला की शक्ति से परिवार और समाज की रचना होती है। सृजन और पोषण उनके नैसर्गिक दायित्व हैं। हमारे समाज में महिलाएँ एवं पुरुष दोनों ही भारतीय समाज के अभिन्न अंग माने जाते हैं। पुरुष वर्ग तथा महिला वर्ग दोनों ही श्रम शक्ति प्रतीक माने जाते हैं। दोनों के कार्य करने की दशाएँ भिन्न-भिन्न स्थितियों में भिन्न-भिन्न होती हैं। कृषक वर्ग के पुरुष खेती में कठिन एवं मेहनती कार्य करते थे तथा महिलाएँ भी खेती में हल्के-फुल्के कार्य सम्पन्न करती थी। यही से महिला कृषि श्रम की उत्पत्ति मानी जा सकती है, जो आगे चलकर एक बड़ी श्रम शक्ति के रूप में दृष्टिगोचर होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि प्रधानता होने के कारण जनजाति समुदाय के लोग वर्ष में लगभग 04 से 06 माह तक कृषि एवं उससे संबंधित सहायक कार्यों जैसे-पशुपालन, बागवानी, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन, आदि में संलग्न रहते हैं। देश की कुल जनजाति जनसंख्या में से लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या कृषि में कार्य में संलग्न है। जिन लोगों के पास छोटे खेत हैं या खेत नहीं हैं, वे लोग बड़े-बड़े किसानों के

घर उनकी कृषि में मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण करते हैं। यह कार्य वे लोग जन्मजात ही सीख लेते हैं। कृषि कार्य में जितना योगदान पुरुषों का होता है उतना ही महिलाओं का भी होता है। दोनों के सहयोग से ही भारत एक कृषि प्रधान देश बना है।

2. समस्याएँ :-

जो महिलाएँ मजदूरी कार्य करती हैं, वैसे तो उनके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएँ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन जिन महिलाओं को कृषि कार्य के दौरान अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, जब उन महिलाओं से इस विषय पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि वे मजदूरी कार्य समय पास करने के लिए कर रही हैं, उनके घर में उनके पति एवं बच्चे कमा लेते हैं, जिसके कारण उन्हें कृषि कार्य को पूर्ण करने के लिए इन समस्याओं का सामना न के बराबर करना होता है। इसके अलावा जो महिलाएँ कृषि कार्य के दौरान अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करती हैं, जब उनसे इस विषय में चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पति घर पर हमेशा रहते हैं, वे कृषि कार्य के अलावा दुसरा कोई कार्य नहीं करते हैं, जिसके कारण आये समय पर उन्हें कृषि कार्य को पूर्ण करने में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना होता है।

तालिका क्र. – 1 कृषि कार्य के समय की समस्याएँ

स.क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	23	57.5
2.	नहीं	17	42.5
	कुल योग	40	100

प्राथमिक आँकड़ों के आधार पर।

तालिका क्र. 1 से स्पष्ट होता है कि श्रमिक महिलाओं को कृषि कार्य के दौरान अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें प्रकार की समस्याएँ उनके सामने आती है। जब इन महिलाओं से प्रश्न पुछा गया कि क्या आपको कृषि कार्य के समय अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना होता है, इनमें से अधिकांश उत्तरदाताओं ने माना है कि उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना होता है, इस बात का समर्थन करने वाली महिलाओं की संख्या 23 है, जिनका प्रतिशत 57.5 है, इस क्षेत्र में कुछ ऐसी महिलाएँ भी मिली हैं, जिनको ऐसा लगता है, कि वे मजदूर कार्य से काफी खुश हैं और कृषि कार्य के दौरान उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, इस बात को मानने वाली महिलाओं की संख्या 17 है, जिनका प्रतिशत 42.5 है।

कृषि कार्य के दौरान अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना श्रमिक महिलाओं को करना होता है, जिसकी संख्या साक्षात्कार के समय देखी गई है, जिससे यह ज्ञात होता है कि कृषि कार्य के समय उन्हें काफी परेशानियों को देखा गया है। उन्हें किन-किन समस्याओं का सामना करना होता है, उनके बारे में विस्तार से विवरण दिया जाएगा। श्रमिक महिलाओं को कृषि कार्य के दौरान किन-किन समस्याओं का सामना करना होता है, उसका उल्लेख विस्तार से किया जाएगा।

3. समस्याओं का सामना :-

श्रमिक महिलाओं को कृषि कार्य के दौरान आने वाली अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना होता है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गई है, उनका विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है, साक्षात्कार के दौरान श्रमिक महिलाओं ने माना

हैं कि उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना होता है, जिसमें से उन्हें श्रमिक कार्य के दौरान उन्हें कम मजदूरी मिलती है, यह एक ऐसी समस्या है जो हर श्रमिक महिलाओं के सामने आती है।

तालिका क्र. – 2 कृषि कार्य के दौरान समस्याओं का सामना

स.क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	कम मजदूरी	17	42.5
2.	असमान भुगतान	6	15.0
3.	कार्य का अधिक बोझ	6	15.0
4.	भूमि अधिकार की कमी	4	10.0
5.	प्रशिक्षण और संसाधनों की कमी	7	17.5
	कुल योग	40	100

प्राथमिक स्रोत के आधार पर।

तालिका क्र. 2 से स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में हर श्रमिक महिला इस समस्या से ग्रसित हैं, इस बात को स्वीकार करने वाली महिलाओं की संख्या 17 हैं, जिनका प्रतिशत 42.5 है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति की श्रमिक महिलाओं ने माना कि उन्हें श्रमिकार्य के दौरान असमान भुगतान जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, उन्हें कभी कम तो कभी ज्यादा भुगतान प्राप्त होता है, जिसके कारण वे कभी-कभी वे श्रमिक कार्य नहीं कर पाती हैं, असमान भुगतान वाले तथ्य को मानने वाली महिलाओं की संख्या 6 हैं, जिनका प्रतिशत 15.0 है। अधिकांश महिलाओं ने इस बात को स्वीकार किया है उनसे कार्य अधिक कराया जाता है और उन्हें कम भुगतान प्राप्त होता है, इससे यह बात सही साबित होती है उन्हें कार्य का बोझ अधिक होता है, इस बात को मानने वाली श्रमिक महिलाओं की संख्या 6 हैं, जिनका प्रतिशत 15.0 है। भूमि अधिकार की कमी एक यह ऐसी समस्या है, जिसके कारण श्रमिक महिलाएं श्रमिक कार्य करने में वर्तमान में हिचकिचाती रहती हैं, जब इन महिलाओं से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास भूमि अधिकार नहीं होने के कारण जिन लोगों के घर पर श्रमिक कार्य करने जाते हैं उनके द्वारा अनेक प्रकार की बातों की जाती है, जिसके कारण उन्हें शर्मिन्दगी महसूस होती है, इस बात को मानने वाली महिलाओं की संख्या 4 हैं, जिनका प्रतिशत 10.0 है एवं कृषि कार्य में कब परिवर्तन होता है इसकी जानकारी इन महिलाओं को नहीं होती है बिना प्रशिक्षण दिये ही उनसे श्रमिक कार्य करवाया जाता है, जिसके कारण उनसे कार्य के दौरान उनसे कई बार गलतियां हो जाती हैं, जिसके कारण उन्हें उनके वेतन से भत्ता कटवाना पड़ता है, इस बात को मानने वाली महिलाओं की संख्या 7 हैं, जिनका प्रतिशत 17.5 है।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह कह सकते हैं कि श्रमिक महिलाओं को श्रमिक कार्य के दौरान अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना होता है, जिसके कारण वे समय पर श्रमिक कार्य करने से कचवाती रहती हैं और आने वाले समय पर वे श्रमिक कार्य से स्पष्ट रूप से मना कर देती है।

4. प्राप्त राशि :-

आज भी हर जगह पर यह बात देखने को मिला है आज भी श्रमिक महिलाओं को चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो सभी जगह पर उन्हें सही समय पर वेतन प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना होता है। कभी-कभी उनको बड़ी घटनाओं से भी होकर गुजरना पड़ता है। अतः यह कहना उचित होगा कि समय पर

भत्ता नहीं मिलने के कारण उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वे श्रमिक कार्य करने से मना कर देती है।

तालिका क्र. – 3 कृषि कार्य करते समय सही समय पर भुगतान

स.क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	15	37.5
2.	नहीं	25	62.5
	कुल योग	40	100

प्राथमिक आँकड़ों के आधार पर।

इन महिलाओं ने माना कि उन्हें श्रमिक कार्य के दौरान सही समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण वे श्रमिक कार्य से मना कर देती है या फिर वे जब भी उनसे दौबारा कार्य करने के लिए कहते हैं, तो वे पहले से ही पैसे ले लेती हैं या कार्य करने से मना कर देती है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर यह कह सकते हैं कि इनको कृषि कार्य करते समय सही समय पर भुगतान प्राप्त होता है, इस तथ्य का समर्थन करने वाली श्रमिक महिलाओं की संख्या 15 है, जिनका प्रतिशत 37.5 है। लेकिन कुछ महिलाओं ने कहा है कि कुछ समय पहले उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता इस तथ्य को मानने वाली महिलाओं की संख्या 25 है जिनका प्रतिशत 62.5 है। साक्षात्कार के दौरान यह कह सकते हैं कि धार जिले में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति की श्रमिक महिलाओं को सही समय पर श्रमिक भत्ता नहीं मिलता है, इस बात का समर्थन करने वाली श्रमिक महिलाओं को देखा गया है। यह बात हर जगह पर लागू हो रही है।

इन महिलाओं को सही समय पर भत्ता नहीं मिलता है, इसके अलावा इन्हें और भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है एक और समस्या इन्हें असमान वेतन भी मिलता है जिसके कारण इनके मन में संकीर्ण भवनाएँ अपने आप आ जाती है।

तालिका क्र. – 4 श्रमिक कार्य के समय कार्य का बोझ

स.क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	27	67.5
2.	नहीं	13	32.5
	कुल योग	40	100

प्राथमिक आँकड़ों के आधार पर।

तालिका क्र. 4 से स्पष्ट होत है कि अधिकतर समय यह देखा गया है कि जब कोई श्रमिक महिला किसी अन्य व्यक्ति के घर पर कार्य करने के लिए जाती है तो उन्हें कार्य के अतिरिक्त बोझ दिया जाता है, जिसके कारण वे जल्दी से कार्य को समाप्त नहीं कर पाती हैं और कार्य देरी से समाप्त होता है और उसके ऐवज में उन्हें कम वेतन मिलता है। इस बात का समर्थन करने वाली महिलाओं की संख्या 27 हैं, जिनका प्रतिशत 67.5 है। लेकिन कुछ महिलाओं ने माना है कि उन्हें श्रमिक कार्य के दौरान कार्य का अधिक बोझ नहीं दिया जाता है, इस बात का समर्थन करने वाली महिलाओं की संख्या 13 हैं, जिनका प्रतिशत 32.5 है। ये महिलाएँ उनके घर एवं दोस्त की पत्नी एवं रिश्तेदार होती हैं, जिनके कारण उन्हें कार्य के अतिरिक्त बोझ नहीं दिया जाता है और उन्हें ज्यादा पैसे भी दिये जाते हैं।

अतः श्रमिक कार्य के समय कार्य का बोझ लोगों का अधिक मिलता है, जो कि काफी अधिक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. निलान्जा घोष, 'कृषक कल्याण का निश्चय सपना और हकीकत', योजना जुलाई 2017
2. पी.के. गुप्ता, श्रम अर्थ शास्त्र, वृन्दा पब्लिकेशन प्रा. लि. दिल्ली
3. वी.के. पुरी व एस.के. मिश्रा, भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस दिल्ली।
4. वीरेन्द्र कुमार, कृषि संबंध क्षेत्र, किसानों की आय बढ़ाने में मददगार, कुरुक्षेत्र, अप्रैल 2018
5. ग्रामीण विकास एवं रोजगार अध्याय 12 के अनुसार आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।